न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
016/2021 (रसद) (GCMS 2021/351)	27.07.2021	14.09.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस थानाधिकारी, पुलिस थाना भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

देवीलाल पिता पप्पुजी जाति रेबारी निवासी सावा की ढाणी पुलिस थाना शंभुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षी

उपस्थिति :- प्रवर्तन अधिकारी शुभम सुखवाल

पैरोकार सरकार
अधिवक्ता विपक्षी

आवेदन अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस थानाधिकारी भदेसर द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 20.05.2021 को समय 10.15 ए.एम पर आर.पी.एस अदिति चौधरी वृत भदेसर को सर्कल गश्त के दौरान जरिये मुखबीर सूचना मिली कि कनौजिया की ढाणी गांव के बाहर अगोरिया गांव की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर देवीलाल रेबारी निवासी सावा की ढाणी थाना शंभुपुरा एक पीकअप गाडी नं. आर जे 09 जीसी 9472 सफेद रंग की जिसमें अवैध डीजल लेकर अगोरिया होते हुए भदेसर की तरफ जायेगा। जिसको तुरन्त जब्त नहीं किया गया तो माल के खुर्द बुर्द होने की संभावना है। अतः सूचना मुखबीर की विश्वसनीय होने तथा तलाशी वारण्ट लेने में समय की आवश्यकता होने व अवैध के खुर्द बुर्द होने से वृताधिकारी मय वाहन चालक राजकुमार ड्रा.कानि.नं. 1534 के मय सरकारी वाहन के धनेश्वर महादेव तिराहे पर पहुँच इमदाद व कार्यवाही में मदद हेतु श्री रतनलाल सउनि थाना भदेसर को मय जाप्ता व अनुसंधान सामग्री के तलब किया जिस पर समय 11.00 ए.एम पर श्री रतनलाल सउनि पुलिस थाना भदेसर मय जाप्ता श्री राजेश कुमार एच सी 1388, मिश्रीलाल एच सी 1245, नारायणलाल एच सी 1453, मेघचन्द कानि 1447, राजपाल कानि 1228, रामेश्वरलाल कानि 1180 मय जीप

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

Web Copy - Not Official

सरकारी चालक भंवरलाल नं. 196 मय आवश्यक अनुसंधान सामग्री के धनेश्वर महादेव तिराहे पर उपस्थित आये। जिनको सूचना मुखबीर से अवगत करा कानि मेघचन्द नं 1447 व कानि रामेश्वरलाल नं. 1180, को मौतबिर मामूर कर हमरा ले मय जाब्ता के रवाना हो कन्नोजिया की ढाणी गाँव से आगे कच्चे रास्ते पर पहुँच नाकाबन्दी शुरु की गई दोराने नाकाबन्दी कन्नोजिया की ढाणी की तरफ से अगोरिया जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक सफेद रंग की पीक अप बोलेरो नं. आर जे 09 जीसी 9472 आती हुई नजर आई जिसको वृत्ताधिकारी मय तलवीदा जाब्ता द्वारा रुकवाने का ईशारा किया तो चालक ने बावर्दी पुलिस जाब्ते को देखकर बोलेरो पीक अप को 50 मीटर नाकाबन्दी स्थल से दुर खडी कर फाटक खोलकर भागने लगा जिसको जाब्ता पुलिस द्वारा घेरा देकर पकडा एवं नाम पता पुछा तो उसने अपना देवीलाल पिता पप्पु जी जाति रेबारी उम्र 26 साल नियासी सावा की ढाणी थाना शंभुपुरा का होना बताया जिस पर उक्त देवीलाल को पुलिस जाब्ते को देखकर भागने व बोलेरो पीक अप के पीछे लगे टैंकर में क्या भरा है। के बारे में पुछा तो देवीलाल ने कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया जिस पर जाब्ता पुलिस द्वारा टैंकर के उपर लगे ढक्कन के ताले को खोल कर देखा तो अन्दर तरल पदार्थ भरा हुआ होना पाया गया जिसके अन्दर से डीजल पदार्थ जैसी गन्ध आ रही थी जिस पर वृत्ताधिकारी मय हमरायी जाब्ता द्वारा तरल पदार्थ को सुघा व अच्छी तरह लगाकर देखा तो डीजल पदार्थ होना पाया गया एवं देवीलाल को पूनः पुछने पर टैंकर में डीजल भरा हुआ होना बताया। उक्त टैंकर में डीजल पदार्थ भर कर अपने कब्जे में रख परिवहन करने बाबत कोई लाईसेन्स या अनुज्ञापत्र व डीजल की बिल बिल्टी के बारे में देवीलाल से पुछा गया तो नही होना बताया। जिस पर बोलेरो पीक अप मय टैंकर को कब्जे पुलिस ले टैंकर में भरे डीजल पदार्थ का नाप गेज द्वारा किया तो टैंकर में कुल 1420 लीटर करीब डीजल पदार्थ भरा हुआ होना पाया गया जिस पर देवीलाल को इतनी मात्रा में बिना किसी बिल बिल्टी व लाईसेन्स के डीजल पदार्थ को अपने कब्जे में रख भण्डारण करने बाबत पुछा तो देवीलाल ने कोई सन्तोषप्रद जबाब नहीं दिया इस तरह देवीलाल द्वारा बिना किसी उचित आवश्यकता के इतनी बड़ी मात्रा में डीजल पदार्थ का भण्डारण कर अपने कब्जे में रखना अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खिलाफ वर्जी करना पाया जाने से जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ से वार्ता की इस पर मौके पर प्रवर्तन अधिकारी श्रीमति सुमन तिवाडी समय 3.00 पी एम मौके पर उपस्थित आई जिनके द्वारा मौके पर बोलेरो पीकअप टैंकर को चेक किया गया जिस पर प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ की मौजुदगी में बोलेरो पीकअप मय डीजल पदार्थ से भरा टैंकर में से डीजल पदार्थ की रासायनिक जाँच हेतु तीन काँच की बोतलो में डीजल पदार्थ 750 एमएल- 750 एमएल निकाला जाकर बोतल के ढक्कन उपर सफेद कपडा बाँध सिलचिट कर नमुना सेम्पल को मार्क A1 व

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (रा.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

कन्ट्रोल सेम्पल को मार्क A2 व रिजर्व सेंम्पल को मार्क A3 दिया जाकर शेष बचे डीजल पदार्थ 1417.75 लीटर को उसी टेंकर में रहने लगा कर ताले को सील चिट कर मार्क A दिया जाकर डीजल पदार्थ मय डीजल टेंकर मय टेंकर मय बोलेरो पीक अप मय टेंकर से तेल निकालने की डीजल मशीन वजह सबुत जरीये फर्द जब्ती के जब्त किये जाकर मौके पर थाना भदेसर की ब्रास सील काम में ली गई जो सरकारी होने से नष्ट नहीं की गई एवं मुलजिम देवीलाल पिता पप्पु जी जाति रेबारी उम्र 26 साल निवासी सावा की ढाणी थाना शंभुपुरा को जरीये चेक लिस्ट धारा 41(क) सीआरपीसी के प्रावधानो की पालना कराते हुए जरीये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया एवं मौके पर पर्चा कायमी जूर्म मुर्तिब की जाकर बाद कार्यवाही के जब्त शुदा टेंकर मय बोलेरो पीक अप मय डीजल निकालने की मशीन मय सेम्पल मय गिरफ्तार शुदा मुलजिम मय तलबीदा जाब्ता के मौके से रवाना थाना भदेसर पर हुई। थाने पर पहुचं कायमी प्रकरण दर्ज करने हेतु पर्चा कायमी मय फर्दास्त थानाधिकारी को दिये जावेगें। वगेरा आशय की पर्चा कायमी पर प्रकरण संख्या 71/21 धारा 3/7 EC ACT में दर्ज कर अनुसंधान रतनलाल सउनि ने शुरू किया दोराने अनुसंधान मौके पर श्रीमान सीओ साहब द्वारा मुर्तिब फर्दास्त पर लाल स्याही से प्रकरण संख्या अकित कर ब्यान श्रीमान सी ओ साहब व गवाहन एच सी नारायण लाल 1453, एच सी राजेश कुमार 1388, एच सी मिश्रीलाल 1245, कानि मेघचन्द 1447, कानि रामेश्वरलाल 1180 कानि राजपाल नं 1228 के लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली कर मामले में गिरफ्तार शुदा मुलजिम देवीलाल रेबारी से प्रकरण में जब्त शुदा डीजल पदार्थ 1420 लीटर बिना किसी आवश्यकता के इतनी बड़ी मात्रा में भण्डारण कर अपने कब्जे में रख परिवहन करने के बारे में पुछा तो देवीलाल ने बताया कि में हाईवे रोड से गुजरात की तरफ आनेवाले तेल के टेंकरो के ड्राईवरो से सेटिंग कर थोडा-थोडा तेल सस्ते खरीदता हु। एवं गांव में ट्रेक्टरों, जेसीबी वालों को मुनाफा कमाने के लिए प्रतिलीटर 10-15 का कमीशन रख कर बेचता हुँ। में जिन टेंकर ड्राईवरो खरीदता हुँ। उनके नाम पर मुझे मालुम नही हैं। एवं में पुछता भी नहीं नही हुँ। एवं मुलजिम को मामले में जब्त शुदा डीजल पदार्थ परिवहन करने के उपयोग में ली गई बोलेरो पीकअप नं आरजे 09 जी सी 9472 मय टेंकर के मालिक के बारे में पुछने पर मुलजिम देवीलाल ने बताया कि बालु पिता अर्जुन जी जाति रेबारी निवासी केसरपुरा की ढाणी वाले से यह बोलेरो पीकअप मय टेंकर मेने 15000/-रु प्रति महिने से किराये पर ले रखी है। उक्त बोलेरो पीकअप मय टेंकर करीब 2 माह से मेरे पास ही है। पीकअप मालिक को मेरे द्वारा डीजल पदार्थ खरीद कर बेचने के बारे में मेने कभी नही बताया व उनको कोई जानकारी भी नही है। बाद पुछताछ मुलजिम का विस्तृत पुछताछ नोट शामिल पत्रावली कर प्रकरण में चश्मदीद गवाह कि निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एवं मुलजिम का

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोवीड–19 जॉच हेतु सेम्पल लिवाये जाकर जॉच रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई एवं प्रकरण में गहनता से तफ्तीश की गई । प्रकरण में लिया गया सेम्पल मार्क मार्क A1 को वास्ते जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोग शाला उदयपुर भेजा गया सम्पूर्ण तफ्तीश ब्यानात प्रार्थीया एवं गवाहन निरीक्षण घटनास्थल एवं मौके पर मुर्तिब फर्दास्त एवं पुछताछ मुलजिम के आधार पर प्रकरण में गिरफ्तार शुदा मुलजिम देवीलाल पिता पप्पुजी जाति रेबारी उम्र 26 साल निवासी सावा की ढाणी थाना शंभुपुरा के खिलाफ अपराध धारा 3/7 EC ACT का अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण में वक्त कार्यवाही लिए गये सेम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर भेजा जाकर रसीद प्राप्त की गई। एच एम मालखाना व एफएसएल ले जाने वाले कानि के कथन लेखबत किये गये। नकल रपट मालखाना संलग्न की गई। प्रकरण में जब्त शुदा बोलेरो मय टैंकर के सम्बन्ध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रकरण हाजा में अब तक के अनुसंधान से अभियुक्त श्री देवीलाल पिता पप्पुलाल जाति रेबारी उम्र 28 साल निवासी सावा की ढाणी थाना शंभुपुरा प्रमाणित पाया जाने से जब्त शुदा टैंकर मय के विरुध अपराध धारा 3/7 ईसी एक्ट का अपराध पैट्रोलियम पदार्थ 1420 लीटर एवं गिरफ्तार शुदा मुलजिम देवीलाल रेबारी के सम्बन्ध में पेट्रोलियम पदार्थ के जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण हेतु धारा 6 ए के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता शुभम सुखवाल हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 10.08.2021 को विपक्षी की और से जवबा पेश कर आवेदन के तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि उक्त प्रकरण में गैर सायल को झूठा लिप्त किया गया है। उक्त प्रकरण में गैर सायल का कोई लेना देना नहीं है। गैर सायल अपने वाहन के पास बैठा हुआ था तभी पुलिस थाना भदेसर वालों ने नाम पता पूछ कर उक्त प्रकरण में लिप्त किया गया है। जबकि गैरसायल का उक्त प्रकरण से कोई सरोकार नहीं है। ना ही उक्त प्रकरण के संबंध में गैरसायल किसी प्रकार की कोई जानकारी रखते है। उक्त प्रकरण में जप्तशुदा माल व वाहन को छोडा जावें तो गैर सायल को कोई आपत्ति नहीं है क्यों कि उक्त माल व वाहन गैरसायल का नहीं है। अतः गैरसायल की और से प्रस्तुत जवाब को स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायल के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही को इसी स्टेज पर ड्रॉप फरमाने का आदेश फरमावें। विपक्षी की और से प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 14.09.2021 को उभयपक्ष हाजिर आये एवं उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। पैरोकार सरकार आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी मात्र वाहन चालक हैं जो मौके पर वाहन के पास बैठा था जिन्हें उक्त प्रकरण में झूठा लिप्त किया गया है। उक्त प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं है यदि जब्तशुदा डीजल पदार्थ को कब्जे राज लिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन-मनन किया। विपक्षी द्वारा डीजल पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया। एवं जब्तशुदा डीजल पदार्थ को कब्जे राज लिये जाने के संबंध में विपक्षी को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में डीजल भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 1420 डीजल राजसात किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए दिनांक 20.05.2021 को जब्तशुदा कुल 1420 लीटर डीजल को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा कुल 1420 लीटर डीजल को थानाधिकारी, पुलिस थाना भदेसर से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>14.09.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official